न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 13/2021

श्री बालूराम पुत्र गजानन्द जाति साधु निवासी ग्राम बालापुरा, तहसील किशनगढ जिला–अजमेर। ..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर ..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री रामसुख चौधरी अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :– 17.8.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2077 में अपीलान्ट द्वारा ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला–अजमेर स्थित मंदिर भूमि के आराजी खसरा सं0 175 रकबा 0–19–00 बीघा किस्म गै.मु. हरडा पर अनाधिकृत रूप से जौ बौ कर लगातार अतिक्रमण किया गया है। पूर्व में भी दिनांक 01.06.2020 को बेदखल किया गया था। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार किशनगढ द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 153/2020 दर्ज कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 11.01.2021 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने तथा फसल को कब्जेराज लेकर निलामी किये जाने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 11.01.2021 से असन्तुष्ट होकर यह अपील न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। क्षैत्राधिकारिता के कारण पत्रावली अपर कलक्टर, अजमेर से स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए मुख्यतः कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला–अजमेर स्थित आराजी खसरा सं0 175 रकबा 0–19–00 बीघा किस्म गै.मु. हरडा पर अनाधिकृत रूप से जौ बौ कर लगातार अतिक्रमण किये जाने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार किशनगढ द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 153/2020 पंजीबद्ध कर दिनांक 11.01.2021 को अपीलान्ट की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने तथा फसल को कब्जेराज लेकर निलामी किये जाने के आदेश पारित किये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि पटवारी हल्का द्वारा मौके पर वास्तविक जांच किये बिना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजियात को काफी मेहनत कर तथा अर्थ खर्च कर विवादित भूमि पर करीब 500 ट्रोली मिट्टी डलवाकर इसको समतल बनाकर कृषि योग्य बनाई गई है। मौके पर करीब 200–250 पौधे लगाये गये है, जो पेड के रूप में विकसित हो गये है। प्रश्नगत आराजी बाबत अपीलान्ट द्वारा न्यायालय

जिला कलक्टर
अजमेर

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष खातेदारी उद्घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत होकर विचाराधीन है। विवादित आराजी की खसरा परिवर्तनशील से भी सिद्ध है कि अपीलान्ट उक्त आराजी का सद्भाविक कृषक है। अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 174 के लगते हुए ही आराजी खसरा नं0 175 रकबा 19 बिस्वा भूमि छोटी पट्टी के रूप में स्थित है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगढ को अपीलान्ट के हक में उक्त आराजी का छोटी पट्टी के रूप में आवंटन/नियमन किये जाने हेतु प्रकरण अनुशंषा सहित प्रेषित किया जाना चाहिये। नायब तहसीलदार द्वारा उक्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग किये बिना विधिक प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2021 को निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 175 रकबा 19 बिस्वा भूमि को अपीलान्ट के हक में आवंटन/नियमन किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर जौ की फसल काश्त कर पुनः अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर, अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अतिक्रमण स्वीकार किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रावधानों के तहत होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। राजकीय भूमि पर फसल काश्त कर दुबारा अतिक्रमण किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस, पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.01.2021 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.08..2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर